प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 33454 जी एस 72/12827, दिनांक 12 जून, 1972 की प्रति।

दिनांक चण्डीगढ़ 12 जून, 1972

विषयः— स्थानांतरण सम्बन्धि पोलीसी में तबदीली ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 2812-4 जी.एस. 1-72/14558, दिनांक 10-5-72 तथा 2904-4 जी.एस. 1-72/15489, दिनांक 18-5-1972 की ओर दिलाऊं और आपको सूचित करूं कि ऐसा देखने में आया है कि इन हिदायतानुसार स्थानांतरण के प्रस्ताव अधिक मात्रा में सरकार को प्राप्त हो रहें है। अगर इन सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो जिस उद्देश्य से इन प्रस्तावों को संवन्धितमंत्री मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा जाना है, उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि बिल्कुल अनिवार्य किस्म के स्थानान्तरण के प्रस्ताव ही संबन्धित मंत्री/मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति के लिए भेजें जाये। ऐसा हो सकता है कि उन केसों में, जहां कि अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है या पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते है, वहां किसी एडजस्टमैंट के लिए स्थानान्तरण करना विल्कुल अनिवार्य हो तथा केवल ऐसे केसों को ही संबन्धित मंत्री/मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाए। बाकी सभी केसों में नए आदेश जारी होने तक किसी प्रकार का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे आवश्यक केसों को सम्बन्धित मंत्री/मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाए।

2. यह आदेश उन केसजों पर भी लागू होंगे जहां स्थानान्तरण एक स्टेशन पर ही एक पोस्ट पर किया जाना है।

हस्त/—

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।